न्यायालय अपर समाहर्त्ता, राँची।

एस0 ए0 आर0 अपील सं0–54 आर–15/03–04

रघुनाथ बेदिया — वादी

बनाम

भीम बेदिया — प्रतिवादी

आदेश

14-11-2005

यह वाद रघुनाथ बेदिया, जागेश्वर बेदिया, बिगु बेदिया, धनेश्वर बेदिया, होलीराम बेदिया और मोतीराम बेदिया द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,सदर,राँची के न्यायालय के एस0 ए0 आर0 वाद सं0–17/2002–03 में पारित दिनांक– 09.10.2002 के आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने अपने आदेश में ग्राम–टाटी,थाना–अनगड़ा, खाता नं0–258, प्लॉट नं0–2028, रकबा–3.78 एकड़, प्लॉट नं0–1948, रकबा–32 डी0 तथा प्लॉट नं0–2027, रकबा–1.12 एकड़ जमीन प्रतिवादी के पक्ष में वापस करने हेतु आदेश पारित किया है।

अपीलकर्त्ताओं को कहना है कि उनके पूर्वजों ने उपरोक्त जमीन की खरीद की और क्रय के बाद वे शांतिपूर्ण दखल में आये। उनका यह भी कथन है कि क्रय के पश्चात् अनगड़ा अंचल में दाखिल खारीज हुआ और तब से वे लगान का भुगतान कर रहे है। प्रथम पक्ष का यह कहना है कि निम्न न्यायालय ने उनका अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए उचित समय नही दिया और न ही उन्हें मूल दस्तावेज पेश करने का अवसर प्रदान किया। प्रथम पक्ष का यह भी कहना है कि निम्न न्यायालय ने प्रतिवादी के पक्ष में बिना किसी दस्तावेज के निर्णय दे दिये।

द्वितीय पक्ष की ओर से कोई लिखित जबाव नही दिया गया लेकिन इस वाद में एक लिखित बहस दिया गया।

14/11/05

इस अपील वाद में पूर्व के पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मौखिक बहस सूना गया था इसलिए वर्त्तमान न्यायालय में दोनों पक्षों का लिखित बहस लिया गया है। लिखित बहस में अपीलकर्त्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि तकरारी जमीन खतियान में मोचिया बेदिया बगैरह के नाम से दर्ज है। उन्हें आगे यह कहना है कि खतियानी रैयत सीताराम बेदिया ने खेसरा 2028 में 1.89 एकड़ और खेसरा 1951 में 19 डी0 जमीन भक्तु बेदिया के नाम से 01.06.1950 को बेच दिया। मोचिया बेदिया और सोमा बेदिया ने खाता 298 के अन्तर्गत 95 डी0 जमीन 01.06.1950 को बेचा। पुनः चरन बेदिया पिता मंशा बेदिया ने भदवा बेदिया को 01.06.1950 को खेसरा 2027 के अन्तर्गत 37 डी0 जमीन बेचा। मोचिया बेदिया और कोयला बेदिया ने खेसरा 2028 में 94 डी0 जमीन भवानी बेदिया, चरवा बेदिया और बिगु बेदिया को 01.06.1950 को बेचा। अपीलकर्त्ता के अधिवक्ता का यह कहना है कि अपीलकर्त्ता सं0–4 केताओं के पुत्र और अपीलकर्त्ता सं0–5 उनके पोते है। अपीलकर्त्ता सं0–1 भदवा बेदिया का पोता , अपीलकर्त्ता–2 बनबारी बेदिया के पुत्र और अपीलकर्त्ता–3 श्री बेदिया का पुत्र बताया गया है।

विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि 01.06.1950 के बाद उन्हें शांतिपूर्ण दखल है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि बेदिया अनुसूचित जन–जाति के अन्तर्गत नही होने के कारण इसका हस्तानान्तरण में उपायुक्त के अनुमति की आवश्यकता नही थी। जमीन के हस्तानान्तरण होने से छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के किसी धारा का उल्लंघन नही हुआ है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपना लिखित बहस में यह बताया है कि भूमि का हस्तानान्तरण छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा का उल्लंघन करते हुए किया गया है क्योंकि धारा–46 के अन्तर्गत आदिवासी से आदिवासी के हस्तानान्तरण

11/11/05

के संदर्भ में 05.05.48 से उपायुक्त की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। उन्होने आगे यह बताया है कि वर्त्तमान मामलें में किसी प्रकार की अनुमति नही ली गई और जमीन का हस्तानान्तरण 1950 में हुआ है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति के सदस्य है इसलिए छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46 के अन्तर्गत अनुमति आवश्यक था जो कि उनके द्वारा प्राप्त नही किया गया है।

उभय पक्षों के दावे , प्रतिदावे और बहस को सूनने के बाद यह स्पष्ट है कि वर्त्तमान अपील वाद में मुख्य बिन्दु बेदिया जाति के अनुसूचित जनजाति से संबंधित है या नही। इस बिन्दु पर निम्न न्यायालय ने अपना कोई मनतव्य नही दिया है।

यह निष्कर्ष निकालना आवश्यक है कि बेदिया समुदाय झारखण्ड के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में किस वर्ष आया। उसी के आधार पर यह निर्धारण हो पायेगा कि 1950 का भूमि हस्तानान्तरण वैध था अथवा अवैध ।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं पर यह वाद पुनः सुनवाई के लिए निम्न न्यायालय को प्रति प्रेषित (रिमांड) किया जाता है और दिनांक–09.10.2002 के आदेश को निरस्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
रॉची।

अपर समाहर्त्ता,
रॉची।

Digitally signed by RAJESH KUMAR BARWAR
Date: 2022.08.13 13:24:12 +05:30
Location: 192.168.0.15